कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87-राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष-0135-2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक-

978 /12-1, देहरादून, दिनांक, 15 दिसम्बर 2022।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण) उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-जनपद उत्तराकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता के जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। FP/UK/HYD/22889/2016

संदर्भ :-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार का पत्रांक 8बी / यू०सी०पी० / 01 / 146 / 2018 / एफ0सी० / 1010 दिनांक 19.10.2022 । महोदय.

उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के कम में उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग द्वारा पत्रांक 1655/1-1 दिनांक 03.12.2022 से प्रस्ताव के सम्बन्ध में सृजित किमयों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है। उक्त निराकरण आख्या मूल में मय संस्तुति के आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

यमुना वृत, उत्त्राखण्ड,देहरादून।



कार्यालय

फोन / फैक्स न0-01373-223328 E-Mall:- dfotons -forest -uk@nic.in वन मित्र कॉल सेंटर-9208008000

उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ^{पंत्राक}— 1655/12-12 पुरोला,दिनांक, 03-12- 2022।

सेवामें,

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त उत्तराखण्ड,

देहरादून।

विषय-

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता के जखोल सांकरी जल

विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन मूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–

एसजेवीएन/जसांजविपरि/वन भूमि/22-08-11 दिनांक 22.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में दर्ज आपित्तियों का निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर

दिया गया है, जो कि संलग्न प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)

उप वन संरक्षक

टौन्स वन प्रभाग पुरोला

एसजेवीएन लिमिटेड (नारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) जखोल–सांकरी हाईड्रो ईलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोरी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)–249128

Website:www.sjvn.nic.in CIN: L40101HP1988GO10084

Our shared vision: 5,000 MW by 2023, 25,000 MW by 2030 and 50,000MW by 2040"

पत्रांक-एसजेवीएन / जसांजविपरि / वन भृमि / 22- 0% - 1)

दिनाँकः 22.11.2022

सेवामें.

उपमहानिदेशक (वन) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25, सुभाष रोड, देहरादून-248001

टोन्स वन प्रभाग, पुराता रिजस्टर संठ 1850 विगांक 26-11-2-22

विषय:-जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मे0वा0 क्षमता की जखोल-सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भः आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या-8बी/यू०सी०पी०/01/146/2018/एफ०सी०/1010 दिनांक 19.10.2022

महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा जखोल सांकरी जल विद्युत् परियोजना के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव सम्बंधी बिन्दुओ पर स्पष्टीकरण चाहा गया है। इस सम्बन्ध मे विन्दुवार आख्या निम्नलिखित है।

Query 1: Previously 11 patches for diversion area were submitted but now total 12 patches are uploaded in online Part-I. A detailed report in this regard is requested to be submitted from the State Government.

Reply: In this regard, it is submitted that total 24.317 hectares forest land has been proposed

in two Forest divisions as per the details below:-

osed Total patches	Remarks
	The patch wise
11 Patches	details in each divisions were duly
1 Patch	verified by concerned
12 Patches	DFO/DD & the same are enclosed at Annexure-I for reference please.
	1 Patch

Query 2:- The area proposed for diversion area is 24.317 ha as per the information provided with the proposal but as per the DSS analysis it comes to 23.817 ha. A clarification in this regard is required to be submitted.

Reply: It is submitted that the query was also replied earlier vide Nodal officer letter no. 870/FP/UK/HYD/22889/2016 dated 28.09.2022(Copy attached as Annexure-II). The kml files were updated & uploaded accordingly. The patch wise detailed DSS report by

1

both the forest divisions was also uploaded in additional information of online proposal (Copy of DSS report attached as *Annexure-I*). On the basis of the DSS report, it is submitted that there seems no miss match between the proposed area & area evaluated of kml in the DSS. However in case of any further clarifications, it is requested that the detail of patch/patches having difference in area may be intimated so that the necessary action can be taken at our end please.

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

(ई० जे० एस० नैय्यर) मुख्य महाप्रबन्धक / परि० प्रमुख

प्रतिलिपि:—1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ।

2. प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला को सादर सूचनार्थ।

उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार / राष्ट्रीय पार्क पुरोला, को सादर सूचनार्थ।

्रईके जी० (ऐस० नैय्यर) मुख्य महाप्रबन्धक / परि० प्रमुख